न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 50/2021 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2021/61

1. पृथ्वीराज
2. साहबराम

} पिसरान सहीराम जाट निवासी मोरजंडखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3. विनोद कुमार
4. सुशील कुमार

} पिसरान बृजलाल जाट निवासी मोरजंडखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

5. कौशल्या उर्फ विजय श्री बेवा बृजलाल जाति जाट निवासी मोरजंडखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. मन्जू पुत्री बृजलाल पत्नि मनोज जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मोरजन्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मनीराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मोरजन्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. सरोज पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी मोरजन्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट
श्री मदन सुरोलिया — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3

निर्णय

दिनांक 13.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 31.03.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं –

1– विवादित भूमि तहसील सादुलशहर के चक 40 एम.एम.के. के खाता संख्या 97/95 में 4.680 हैक्टेयर कृषि भूमि है। उक्त वादगत भूमि अपीलांट सं. 1, 2 के पिता, अपीलांट सं. 3, 4, 6 के दादा, 5 के ससुर व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता स्व. सहीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पिता स्व. सहीराम ने उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 08.05.2001 को अपने तीन पुत्रों पृथ्वीराज,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

साहबराम व बृजलाल के हक में कर दी। अपीलांट सं. 3 ता 6 स्व. बृजलाल के वारिसान है। सहीराम की मृत्यु उपरांत वादगत भूमि का सरपंच, ग्राम पंचायत मोरजंडखारी ने विरासतन इंतकाल संख्या 584 दिनांक 20.07.2016 दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल संख्या 584 के विरूद्ध अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.03.2021 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि की वसीयतकर्ता सहीराम ने पृथ्वीराज, साहबराम व बृजलाल के हक में दिनांक 08.05.2001 को वसीयत कर दी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो कि अपीलांट सं. 1 व 2 का भाई है, को अन्यत्र भूमि खरीद कर दे दी। सहीराम की मृत्यु उपरांत अपीलांट्स ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया कि वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज कर दिया जाएगा। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 के साथ मिली भगत कर विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। मौके पर कब्जें में परिवर्तन नहीं होने से विरासतन इंतकाल दर्ज हो जाने का पता नहीं चला। विरासतन इंतकाल संख्या 584 इकतरफा आदेश के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त वादग्रस्त भूमि सयुक्त खाते की भूमि है। अभी तक उक्त वादग्रस्त भूमि का आज दिनांक तक विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में वसीयत के आधार पर सुनवाई की जानी है, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया है। उक्त इंतकाल सं. 584 के विरूद्ध अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर निर्णय किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपील को निरस्त कर दिया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश जारी होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित कर किया गया। अपील अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन निर्णय बिना माईण्ड एप्लाई किये पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संदर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं:–

- आर.आर.डी. 1991 पेज सं. 164
- आर.आर.डी. 1999 पेज सं. 98
- आर.आर.डी. 2016 पेज सं. 28

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 ने दौराने बहस कथन किया कि वादगत भूमि सहीराम के नाम दर्ज थी। सहीराम का देहांत हो जाने पर उक्त विवादित भूमि का उसके जायज वारिसान के हक में इंतकाल दर्ज हो गया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त भूमि का इंतकाल विरास्तन दर्ज होने का ईल्म रेस्पोडेन्ट को भली भांति था, वादग्रस्त इंतकाल संख्या 584 विरास्तन दर्ज होने के 8 वर्ष पश्चात अपीलांट के द्वारा वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कानूनी प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया गया है। अपीलांट्स के पक्ष में की गई वसीयत को अपीलांट ने किसी भी समक्ष न्यायालय में साबित नहीं कराया गया हैं अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के संदर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया हैः—

- APEX COURT JUDGEMENTS 2021(3) Page No. 173

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, उभय पक्ष की बहस तथा न्यायिक दृष्टांतों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2021 पारित करते हुए अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। वादग्रस्त इंतकाल संख्या 584 विरास्तन दर्ज होने के 8 वर्ष पश्चात अपीलांट के द्वारा वसीयत के आधार पर वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी द्वारा वादग्रस्त भूमि को स्व. सहीराम के सभी जायज वारिसानों के पक्ष में विरास्तन इंतकाल संख्या 584 दर्ज कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज विरास्तन इंतकाल संख्या 584 सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में अपीलाधीन इंतकाल संख्या 584 दिनांक 20.07.2016 न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश 31.03.2021 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर